

[2023] 7 एस. सी. आर 939

ए.

सी. एस. गोपालकृष्णन ई. टी. सी. बनाम

तमिलनाडु और अन्य राज्य (2021 की सिविल अपील संख्या 5692-5695) 09 मई, 2023

बी.

[दिनेश माहेश्वरी और संजय कुमार, जे. जे.]

तमिलनाडु औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1997-तमिलनाडु राजमार्ग अधिनियम, 2001-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (पुराना एल. ए. अधिनियम)-भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (नया एल. ए. अधिनियम)-तमिलनाडु भूमि अधिग्रहण कानून (संचालन, संशोधन और वैधता का पुनरुद्धार) अधिनियम, 2019-क्या औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम और राजमार्ग अधिनियम अंतर्निहित मनमानेपन और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के कारण अमान्य हैं-जी. मोहन राव में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य अधिनियमों और नए एल. ए. अधिनियम के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता खंड का उल्लंघन स्थापित करने के लिए तर्क दिया गया है। 2021 के 5692-5693 में यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम मनमानेपन और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर अमान्य होने के लिए उत्तरदायी नहीं था-प्रश्न यह था कि अपीलार्थियों के अधिकार क्षेत्र के बारे में, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने के बाद अपनी भूमि खरीदी थी, ताकि 1997 के अधिनियम और उसके तहत शुरू की गई कार्यवाही के प्रावधानों को चुनौती दी जा सके-जबकि C.A.No में। 2021 का 5697, अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य आदेश पर हमला किया है, जिसमें मनमानेपन और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर राजमार्ग अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई थी-इन दोनों व्यक्तियों की शिकायत राजमार्ग अधिनियम के तहत तमिलनाडु राज्य द्वारा उनकी भूमि के अधिग्रहण के संबंध में है-यह तर्क दिया गया है कि राजमार्ग अधिनियम, 2001 इस आधार पर अमान्य होने के लिए उत्तरदायी है कि इसके प्रावधान भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों की तुलना में भेदभाव या मनमानेपन को प्रकट करते हैं; पुनर्वास और पुनर्वास

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

939 ए.

940 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 7 एस. सी. आर.

अधिनियम, 2013-आयोजित:2021 के C.A.Nos, 5692-5693 में, वे बाद के खरीदार थे और उन्हें अधिग्रहण की कार्यवाही के बारे में पता था-किसी भी स्थिति में, इन बाद के खरीदारों में से किसी को भी अधिग्रहण की कार्यवाही के बारे में अज्ञानता का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-केवल समय बीतने और s का प्रकाशन।3(1) भूमि की उनकी खरीद के बाद नोटिस उनके बिक्री लेनदेन को नहीं बचाएगा या उन्हें अधिग्रहण पर हमला करने का अधिकार नहीं देगा-परिणामस्वरूप, मनमानेपन और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन या अधिग्रहण कार्यवाही के लिए उनकी परिणामी चुनौती के आधार पर औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम के लिए उनकी चुनौती को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है-जहां तक C.A.No है। 2021 के 5697 का संबंध है, तमिलनाडु राज्य में राजमार्ग अधिनियम उस समय भी संरक्षित था जब पुराना एल. ए. अधिनियम लागू था और राष्ट्रपति की सहमति के कारण कि उसे संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत प्राप्त हुआ था, और यह नए एल. ए. अधिनियम के आने तक भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के भुगतान के लिए पूरी तरह से अलग मापदंड प्रदान करता रहा-इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए एल. ए. अधिनियम की योजना अधिग्रहण के कार्यान्वयन में समय पर उपायों को अपनाने की वकालत करती है और इस तरह के सामान्य अस्थायी प्रतिबंधों से भूमि मालिकों को लाभ होगा, लेकिन राजमार्ग अधिनियम में इस तरह के प्रतिबंधों का अभाव इसे अमान्य करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस आधार पर तमिलनाडु राज्य द्वारा राजमार्ग अधिनियम लागू किए गए थे, उसमें कटौती की गई थी।

बी.

सी.

डी.

ई.

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-2021** की सिविल अपील संख्या **5692-5693**

1. जो प्रश्न उठेगा वह अपीलार्थियों के अधिकार क्षेत्र के बारे में है, जिन्होंने औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देने के लिए भूमि

अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने के बाद अपनी भूमि खरीदी थी।[पैरा **18**] [951-एफ-जी]

एफ.

2. जहां तक अपीलार्थियों के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का संबंध है, उसी पहलू पर इस न्यायालय की **3-न्यायाधीशों** की पीठ द्वारा विचार किया गया था।

जी.

शिव कुमार और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [(2019) 10

एससीसी **229**]।उसमें सवाल यह था कि क्या अधिग्रहित भूमि के बाद के खरीदार ए की धारा **24 (2)** के तहत देरी के आधार पर अधिग्रहण को अमान्य करने की मांग करने के हकदार होंगे।

एच.

941

सी. एस. गोपालकृष्णन ई. टी. सी. बनामतमिलनाडु राज्य और अन्य ए

नया एल. ए. अधिनियम। पीठ ने कहा कि पुराने एल. ए. अधिनियम की धारा **4** के तहत अधिसूचना के बाद किया गया बिक्री लेनदेन अमान्य है और भूमि हस्तांतरण के लिए अप्रभावी होगा और इस तरह की बिक्री बाद के खरीदारों को स्वामित्व नहीं देगी, जिससे वे कब्जा करने का दावा कर सकते हैं।यह देखा गया कि नए एल. ए. अधिनियम के तहत परिकल्पित ऐसे खरीदार को पुनर्वास का दावा करने या भूमि पर वापस दावा करने की अनुमति देना बेहद अनुचित और अन्यायपूर्ण और कानून की नीति के खिलाफ होगा। [पैरा **22**] [953-ए-सी]

बी.

2. चूंकि दोनों अपीलार्थियों औद्योगिक प्रयोजन अधिनियम की वैधता पर केवल धारा **3 (2)** के तहत सार्वजनिक सूचना जारी करने के बाद उनके द्वारा खरीदी गई भूमि के संबंध में उसके तहत शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही के संदर्भ में हमला करना चाहते हैं, पुराने एल. ए. अधिनियम की धारा **4** के तहत एक अधिसूचना के समतुल्य, उनकी चुनौती अपनी शुरुआत में ही दागी और अस्वीकार्य है।वे दोनों बाद के खरीदार थे और माना जाता है कि वे अधिग्रहण की कार्यवाही से अवगत थे।इस संबंध में, यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि विषय भूमि के मूल मालिकों ने वर्ष **2007** में धारा **3 (2)** के तहत जारी सार्वजनिक सूचना के जवाब में अपनी आपत्तियां उठाई थीं, लेकिन **2012** और **2013** में अपनी भूमि बेचने का फैसला किया। किसी भी स्थिति में, इन बाद के खरीदारों में से किसी को भी अधिग्रहण की कार्यवाही के बारे में अनभिज्ञता का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।वास्तव में, बिक्री लेनदेन

जिसके तहत वे विषय भूमि में स्वामित्व और ब्याज का दावा करते हैं, कानून की नजर में अमान्य हो जाते हैं। भूमि की खरीद के बाद केवल समय बीतने और धारा **3 (1)** की सूचना के प्रकाशन से उनके बिक्री लेनदेन को बचाया नहीं जा सकेगा या उन्हें अधिग्रहण पर हमला करने का अधिकार नहीं मिलेगा। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को मनमानेपन और संविधान के अनुच्छेद **14** के उल्लंघन या अधिग्रहण कार्यवाही के लिए उनकी परिणामी चुनौती के आधार पर औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम को उनकी चुनौती पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिलता है। इसलिए, **2021** की सिविल अपील संख्या **5692-5693** इस छोटे से आधार पर खारिज किए जाने योग्य हैं। [पैरा **23**] [953-एफ-एच; 954-ए-सी]

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

2021 की सिविल अपील **No.5697 3**. तमिलनाडु राज्य में राजमार्ग अधिनियम उस समय भी संरक्षित था जब पुराना एल. ए. अधिनियम लागू था।

एच.

942 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 7 एस. सी. आर.

राष्ट्रपति की सहमति के कारण कि उसे संविधान के अनुच्छेद **254 (2)** के तहत प्राप्त हुआ था, और यह नए एल. ए. अधिनियम के आने तक भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के भुगतान के लिए पूरी तरह से अलग मापदंड प्रदान करता रहा। [पैरा **40**] [961-ई-एफ]

4. इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए एल. ए. अधिनियम की योजना अधिग्रहण के कार्यान्वयन में समय पर उपायों को अपनाने की वकालत करती है और इस तरह के सामान्य अस्थायी प्रतिबंधों से भूमि मालिकों को लाभ होगा, लेकिन राजमार्ग अधिनियम में इस तरह के प्रतिबंधों का अभाव इसे अमान्य करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस आधार पर तमिलनाडु राज्य द्वारा राजमार्ग अधिनियम बनाए गए थे, वह समय लेने वाली प्रक्रियाओं में कटौती करना था। जी. मोहन राव के मामले में, इस न्यायालय ने नोट किया था कि तमिलनाडु राज्य द्वारा **2019** के वैधीकरण अधिनियम के लिए भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए लिखे गए दिनांक **1** के पत्र में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया था कि तीन राज्य अधिनियम शीघ्र अधिग्रहण के उद्देश्य से बनाए गए थे, लेकिन नए एल. ए. अधिनियम ने उन्हें अप्रिय बना दिया। इसलिए, यह राजमार्ग अधिनियम का इरादा या उद्देश्य नहीं है कि इसके

तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लंबा किया जाए या टालने योग्य देरी से चलाया जाए।[पैरा **42**] [962-डी-एफ]

बी.

सी.

डी.

5. इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से एक या दूसरे कानून को अपनाने में मनमाने विवेक का प्रयोग करने की कोई संभावना नहीं है, जैसा कि विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है।**2019** के वैधीकरण अधिनियम की धारा **3,7** और **11** स्पष्ट रूप से राज्य अधिनियमों में निहित उद्देश्यों के लिए नए एल. ए. अधिनियम के संचालन को बाहर करती हैं जो भारत के राष्ट्रपति की सहमति के कारण पुनर्जीवित हो गए थे। इसलिए, तमिलनाडु राज्य अपने तहत आरक्षित उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए केवल राजमार्ग अधिनियम लागू करने के लिए बाध्य होगा।[पैरा **44**] [963-बी]

ई.

एफ.

6. तमिलनाडु राजमार्ग अधिनियम, **2001**, इस आधार पर अमान्य होने के लिए उत्तरदायी नहीं है कि भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार; पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, **2013** के प्रावधानों की तुलना में इसके प्रावधान भेदभाव या मनमानेपन को प्रकट करते हैं।[पैरा **45**] [963-सी-डी] ए

जी.

एच.

943

सी. एस. गोपालकृष्णन ई. टी. सी. बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य ए

मध्य प्रदेश राज्य बनाम जी. सी. मंडावर एयर

1954 एससी 493:[1955] एस. सी. आर. 599; पी. वज्रवेलु मुदलियार

v. विशेष उप-कलेक्टर, मद्रास और अन्य आकाशवाणी

1965 एससी **1017**:[1965] एस. सी. आर. **614**-अनुसरण किया गया।

जी. मोहन राव और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और

अन्य AIR 2021 SC 3126;-पर निर्भर थे।

बी.

तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम अनंती अम्मल और

अन्य (1995) 1 एससीसी 519:[1994] 5 पूरक।एससीआर 666;

के. रामकृष्णन बनाम तमिलनाडु सरकार 2007 डब्ल्यूएलआर 372; एस. एन. सुमथी बनाम तमिलनाडु राज्य

और अन्य 2015 एससीसी ऑनलाइन मद्रास 14055; श्री

सी.

वेंकटेश्वर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम तमिलनाडु सरकार के सचिव और अन्य लिखते हैं

2012 की अपील सं. 1063,17.10.2022 पर निर्णय लिया गया; शिव

कुमार और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **(2019) 10 एस. सी. सी. 229; यू. पी. जल निगम, लखनऊ और एक अन्य बनाम।**

डी.

कालरा प्रॉपर्टीज (पी) लिमिटेड (1996) 3 एस. सी. सी. 124:[1996] 1

एस. सी. आर. **683**; स्नेह प्रभा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और

एक और (1996) 7 एससीसी 426:[1995] 5 पूरक।एससीआर 264;

भारत संघ बनाम शिवकुमार भार्गव और अन्य

(1995) 2 एससीसी 427:[1995] 1 एस. सी. आर. 354; मीरा साहनी

राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और अन्य **(2008) 9 एस. सी. सी. 177:[2008] 10 एससीआर 1012**; वी. चंद्रशेखरन और एक अन्य बनाम प्रशासनिक अधिकारी और अन्य **(2012) 12 एससीसी**

ई.

133 :[2012] 10 एस. सी. आर. 603; राजस्थान राज्य औद्योगिक

विकास और निवेश निगम बनाम सुभाष सिंधी सहकारी समिति।हाउसिंग सोसाइटी, जयपुर **(2013) 5 एस. सी. सी. 427:[2013] 4 एस. सी. आर. 978**; एम. वेंकटेश और अन्य बनाम आयुक्त, बेंगलूर विकास प्राधिकरण **(2015)**

एफ.

17 एससीसी 1:[2015] 11 एस. सी. आर. 454; नागपुर सुधार

ट्रस्ट और अन्य बनाम विठ्ठल राव और अन्य ए. आई. आर. **1973**

एससी 689:[1973] 3 एस. सी. आर. 39; भारत संघ बनाम तारसेम सिंह और अन्य
(2019) 9 एस. सी. सी. 304:[2019] 13 एससीआर

जी.

49; सावित्री कैरे और अन्य बनाम यू. पी. आवास एवं विकास परिषद और अन्य **(2003)**
6 एस. सी. सी. 39; जोसेफ शाइन

बनाम भारत संघ (2019) 3 एस. सी. सी. 39:[2018] 11 एससीआर

765; केरल राज्य और अन्य बनाम टी. एम. पीटर और अन्य

(1980) 3 एससीसी 554:[1980] 3 एस. सी. आर. 290;

एच.

944 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 7 एस. सी. आर.

कर्नाटक बनाम रंगनाथ रेड्डी **(1977) 4 एस. सी. सी. 471:[1978] 1 एससीआर**

641; उपायुक्त और कलेक्टर, कामरूप बनाम दुर्गा नाथ सरमा ए. आई. आर. **1968**

एससी **394:[1968]** एस. सी. आर. **561;** जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और

अन्य (2003) 8 एस. सी. सी. 369:[2003] 1 पूरक।एससीआर 947;

यू. पी. आवास एवं विकास परिषद बनाम जैनुल इस्लाम और

बी.

एक और (1998) 2 एससीसी 467:[1998] 1 एस. सी. आर. 254-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[1994] 5 पूरक।एससीआर 666

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

सी.

[1996] 1 एससीआर 683

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

[1995] 5 पूरक।एससीआर 264

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

[1995] 1 एससीआर 354

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

[2008] 10 एससीआर 1012

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

डी.

[2012] 10 एससीआर 603

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

[2013] 4 एससीआर 978

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

[2015] 11 एससीआर 454

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

पीछा किया।

पैरा 30

[1965] एससीआर 614

ई.

[1973] 3 एससीआर 39

संदर्भित किया गया है

पैरा **30**

[2019] 13 एससीआर 49

संदर्भित किया गया है

पैरा **30**

[1955] एससीआर 599

पीछा किया।

पैरा **30**

संदर्भित किया गया है

पैरा **31**

[2018] 11 एससीआर 765

एफ.

[1980] 3 एससीआर 290

संदर्भित किया गया है

पैरा **32**

[1978] 1 एससीआर 641

संदर्भित किया गया है

पैरा **32**

[1968] एससीआर 561

संदर्भित किया गया है

पैरा **36**

[2003] 1 पूरक।एससीआर 947

संदर्भित किया गया है

पैरा **37**

जी.

[1998] 1 एससीआर 254

संदर्भित किया गया है

पैरा **38**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2021 की सिविल अपील संख्या 5692-5695।

एच.

945

सी. एस. गोपालकृष्णन ई. टी. सी. बनामतमिलनाडु राज्य और अन्य ए

ए.

2013 की संख्या 26234,26028,10282 और 2015 की संख्या 10283 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

के साथ

2021 की सिविल अपील संख्या 5697

बी.

अमित आनंद तिवारी, ए. ए. जी., के. के. वेणुगोपाल, वी. कृष्णमूर्ति, वरिष्ठ अधिवक्तागण , सुहित पार्थसारथी, सुश्री रश्मि नंदकुमार, सुश्री रेम्या राज, एन. सुब्रमण्यन, प्रणव सचदेवा, जतिन भारद्वाज, सुश्री नेहा राठी, सबरीश सुब्रमण्यन, विष्णु उन्नीकृष्णन, नमन द्विवेदी, पी. शंकर, सुश्री शिवानी जेना, सी. क्रांति कुमार, दानिश सैफी, सुश्री देवयानी गुप्ता, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., एम. योगेश कन्ना, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय कुमार, जे।

डी.

1. पिछली घटनाएँ, जो इन अपीलों के लिए प्रासंगिक हैं, प्रासंगिक होने के कारण कुछ समय तक पुनः गिनती की आवश्यकता होती है।

2. बहुत पहले, तमिलनाडु राज्य ने केंद्रीय कानून में निर्धारित कानून और प्रक्रिया से हटकर अपनी हरिजन कल्याण योजनाओं, अपने औद्योगिक उद्देश्यों और अपने राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण करने के अपने प्रतिष्ठित अधिकार का प्रयोग करने का फैसला किया था।, 'भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 '।भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III में प्रविष्टि

42 के तहत समवर्ती शक्ति का प्रयोग करते हुए, इसने 'हरिजन कल्याण योजनाओं के लिए तमिलनाडु भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1978'; 'औद्योगिक उद्देश्यों के लिए तमिलनाडु भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1997'; और 'तमिलनाडु राजमार्ग अधिनियम, 2001' लागू किया। ये तीन राज्य अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 [इसके बाद, 'पुराना एल. ए. अधिनियम'] के प्रतिकूल होने के बावजूद, संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत क्रमशः 21.07.1978, 25.05.1999 और 16.09.2002 पर प्राप्त राष्ट्रपति की सहमति के कारण संरक्षित रहे। हालाँकि, संसद द्वारा भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार; पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 [इसके बाद, 'नया एल. ए. अधिनियम'] को पुराने एल. ए. अधिनियम की जगह लेने पर, इन राज्य अधिनियमों को अमान्य कर दिया गया, क्योंकि वे इसके खिलाफ थे।

ई.

एफ.

जी.

3. उल्लेखनीय है कि नए एल. ए. अधिनियम की धारा 105 में प्रावधान किया गया है कि उक्त कानून भूमि अधिग्रहण से संबंधित केंद्र सरकार के अधिनियमों में संशोधनों के साथ लागू नहीं होगा या लागू नहीं होगा।

एच.

946

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 7 एस सी आर।

चौथी अनुसूची में। तीन राज्य अधिनियमों को बचाने के प्रयास में, नए एल. ए. अधिनियम की धारा 105 से संकेत लेते हुए, तमिलनाडु विधानसभा ने नए एल. ए. अधिनियम में संशोधन करते हुए 2014 का विधेयक संख्या 5 22.02.2014 पारित किया। इस प्रकार, धारा 105-ए को नए एल. ए. अधिनियम में जोड़ा गया, जिससे इसके प्रावधान तमिलनाडु राज्य में भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिनियमों में संशोधनों के साथ अप्रयोज्य या लागू होते हैं, जो नई जोड़ी गई पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए थे। तीन राज्य अधिनियमों को इस अनुसूची में दिखाया गया था। हालाँकि, 2014 का विधेयक संख्या 5 भारत के राष्ट्रपति द्वारा कुछ दोषों की ओर इशारा करते हुए वापस कर दिया गया था और उन्हें ठीक करने के बाद, इसे 2014 के विधेयक संख्या 30 के रूप में फिर से पेश किया गया था। इसके बाद इसे भारत के राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए भेजा गया और 01.01.2015 पर प्राप्त किया गया। परिणामस्वरूप, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (तमिलनाडु

संशोधन) अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्या 1) पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुआ।

बी.

सी.

4. 2015 के अधिनियम संख्या 1 को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं के एक समूह में चुनौती दी गई थी। 2015 की रिट याचिका No.21323 भी तमिलनाडु राजमार्ग अधिनियम, 2001 (संक्षिप्तता के लिए, 'राजमार्ग अधिनियम') को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। इसी तर्ज पर, 2013 की रिट याचिका संख्या 26028 और 26234 को तमिलनाडु औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1997 (संक्षिप्तता के लिए, 'औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम') की वैधता पर जोर देते हुए इस आधार पर दायर किया गया था कि यह भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर था और इसके तहत याचिकाकर्ताओं की भूमि के अधिग्रहण को छोड़ने के लिए अधिकारियों को परिणामी निर्देश देने की मांग की गई थी। 5.

2013 के W.P.No.26028 में, दो याचिकाकर्ताओं की परिणामी प्रार्थना, अर्थात् पी. के. मुरलीधरन और वी. थिरुनारायणन को अधिकारियों को निर्देश देना था कि वे पुराने सर्वेक्षण संख्या 93/4 बी (3), वर्तमान में सर्वेक्षण संख्या 93/58 और 93/59, पिल्लार्पक्कम गाँव, श्रीपेरंबुदूर तालुक संख्या 103, कांचीपुरम में अपनी भूमि का अधिग्रहण न करें। 2013 के आई. डी. 2 में, याची सी. एस. गोपालकृष्णन का अनुरोध था कि वे अधिकारियों को सर्वेक्षण संख्या 92/60, पट्टा No.1317, प्लॉट संख्या 236, श्रीपुरा सुंदरी नगर, पिल्लार्पक्कम गाँव, श्रीपेरंबुदूर तालुक में अपनी भूमि वापस करने का निर्देश दें। इसके अलावा, 2013 के आई. डी. 2 में दूसरे याची वी. थिरुनारायणन ने भी 2015 का आई. डी. 1 दायर कर यह घोषणा करने की मांग की कि 2015 का अधिनियम संख्या 1 संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसके परिणामस्वरूप अधिकारियों को कांचीपुरम जिले में उनकी भूमि का अधिग्रहण नहीं करने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह, 2013 के आई. डी. 2 में एकमात्र याची सी. एस. गोपालकृष्णन ने 2015 के आई. डी. 1 को दायर कर समान ए.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

947

सी. एस. गोपालकृष्णन ई. टी. सी. बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य [संजय कुमार, जे.] ए.

राहत।इन चार रिट याचिकाओं को, कई अन्य याचिकाओं के साथ, मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा, दिनांक 03.07.2019 के सामान्य आदेश के माध्यम से आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी।

6. दिनांकित सामान्य आदेश 03.07.2019 दर्शाता है कि उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दों को विचार के लिए तैयार किया है:-

बी.

'1) क्या अंतर्निहित मनमानेपन के कारण राज्य के अधिनियम अमान्य हैं?

2) क्या भारत के राष्ट्रपति धारा 105-ए को मंजूरी देते समय अपने दिमाग को लागू करने में विफल रहे?

3) संसद द्वारा नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम "बनाए जाने" के बाद क्या विवादित राज्य अधिनियम प्रतिकूल हो गए। यदि ऐसा है, तो क्या 2015 के तमिलनाडु अधिनियम संख्या 1 द्वारा जोड़ी गई धारा 105-ए को राष्ट्रपति की मंजूरी ने तीनों अधिनियमों को पुनर्जीवित किया?

सी.

4) क्या धारा 105-ए (2) और (3) के प्रावधान अनिवार्य हैं, और यदि हां, तो क्या इन प्रावधानों का पालन न करना इन अधिनियमों की वैधता के लिए घातक है।'

डी.

7. पहले मुद्दे के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु हरिजन कल्याण योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1978 की वैधता को तमिलनाडु राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था

और अन्य बनाम अनंती अम्मल और अन्य [(1995) 1 एस. सी. सी. 519] और

ई.

कि औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम को एक खंड पीठ द्वारा बरकरार रखा गया था

के. रामकृष्णन बनाम में मद्रास उच्च न्यायालय। तमिल सरकार

नाडू **[2007 डब्ल्यू. एल. आर. 372]**, जिसमें यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त अधिनियम किसी भी अवैधता, तर्कहीनता या प्रक्रियात्मक अनुचितता से ग्रस्त नहीं था।इसी तरह, तमिलनाडु राजमार्ग अधिनियम, **2001** (संक्षिप्तता के लिए, 'राजमार्ग अधिनियम') को मद्रास उच्च न्यायालय ने एस. एन.

एफ.

सुमथी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य **[2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन**

मद्रास 14055]।इसलिए, उच्च न्यायालय ने राय दी कि तीन राज्य अधिनियमों को तर्कहीन, मनमौजी या पर्याप्त निर्धारण सिद्धांतों के बिना नहीं कहा जा सकता है और इस तर्क को खारिज कर दिया कि वे अंतर्निहित मनमानेपन के आधार पर अमान्य होने के लिए उत्तरदायी थे।

जी.

8. दूसरे मुद्दे पर, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सभी सामग्री भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखी गई थी और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि सहमति देते समय भारत के राष्ट्रपति द्वारा कोई मन का उपयोग नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि पहला विधेयक राष्ट्रपति द्वारा कुछ दोषों की ओर इशारा करते हुए वापस किया गया था और यह केवल था

एच.

948

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 7 एस सी आर।

ठीक होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई। इसलिए, दूसरे मुद्दे का निर्णय उसी के अनुसार किया गया था।

9. तीसरे मुद्दे को प्रस्तुत करते हुए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि जैसे ही नए एल. ए. अधिनियम को आई. डी. 1 पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, वैसे ही तीनों राज्य अधिनियम उस तारीख को ही अमान्य हो गए और 2015 के अधिनियम संख्या 1 का इन शून्य राज्य अधिनियमों को पुनर्जीवित करने का प्रभाव नहीं पड़ा। यह उल्लेख किया गया कि संविधान का अनुच्छेद 254 (2) किसी राज्य द्वारा पहले से बनाए गए कानून पर लागू नहीं होगा जो संसद द्वारा बनाए गए नए अधिनियम के परिणामस्वरूप अप्रिय हो जाता है और यह केंद्रीय कानून से पहले राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। उच्च न्यायालय ने राय दी कि संविधान के अनुच्छेद 254 (2) में राष्ट्रपति द्वारा अपनी सहमति देने के लिए नए सिरे से विचार के लिए प्रतिकूल कानून को आरक्षित रखने की आवश्यकता है और इसलिए, इन राज्य अधिनियमों को वर्तमान अर्थ में राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करनी होगी। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के दायरे में एक अधिनियम लाने के लिए, इसे राज्य द्वारा फिर से अधिनियमित किया जाना चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए और नए एल. ए. अधिनियम में केवल धारा 105-ए को शामिल करना अपर्याप्त था। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने तीन राज्य अधिनियमों को अमान्य घोषित कर दिया और कहा कि धारा 105-ए ने उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया और यह केवल एक मृत पत्र था।

बी.

सी.

डी.

10. अंतिम मुद्दे पर, उच्च न्यायालय ने धारा 105-ए (2) और (3) को अनिवार्य माना। ऐसा मानते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने इंगित सीमा तक रिट याचिकाओं को अनुमति दी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने राज्य अधिनियमों के तहत किए गए अधिग्रहणों को, जहां अधिग्रहित भूमि का उपयोग पहले ही किया जा चुका था और जिस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उस पर या उसके बाद फिर से नहीं खोलना उचित समझा। उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि 2015 के अधिनियम संख्या 1 द्वारा नए एल. ए. अधिनियम में जोड़ी गई धारा 105-ए को वस्तुतः अनुचित बना दिया गया था क्योंकि 2015 का अधिनियम संख्या 1 संविधान के अनुच्छेद 254 (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था और इसका राज्य अधिनियमों को पुनर्जीवित करने का प्रभाव नहीं था, इसलिए धारा 105-ए की वैधता की स्वतंत्र रूप से जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

ई.

एफ.

11. 2020 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 2063-2066, जिसे बाद में 2021 की सिविल अपील संख्या 5692-5695 के रूप में गिना गया था, 2013 के W.P.Nos.26234 और 26028 और 2015 के W.P.Nos.10282 और 10283 से संबंधित सामान्य आदेश से उत्पन्न हुआ। 2013 के आई. डी. 2 में दूसरे याची वी. थिरुनारायणन और 2013 के आई. डी. 1 में एकमात्र याची सी. एस. गोपालकृष्णन ने ए.

जी.

एच.

949

सी. एस. गोपालकृष्णन ई. टी. सी. बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य [संजय कुमार, जे.] ए.

इस हद तक कि यह औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम को मनमानेपन और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर अमान्य नहीं मानता था। उनके द्वारा दायर अन्य दो एसएलपी 2015 के अधिनियम संख्या 1 और धारा 105-ए की वैधता से संबंधित हैं।

12. इस न्यायालय के समक्ष इन एसएलपी के लंबित रहने के दौरान, तमिलनाडु राज्य ने फिर से 'तमिलनाडु भूमि अधिग्रहण कानून (संचालन, संशोधन और सत्यापन का पुनरुद्धार) अधिनियम, 2019' (संक्षिप्तता के लिए, '2019 का सत्यापन अधिनियम') लागू करके तीन

राज्य अधिनियमों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत 02.12.2019 पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यह 26.09.2013 से पूर्वव्यापी रूप से लागू हुआ। 2019 के वैधता अधिनियम को इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं के एक समूह में चुनौती दी गई थी। निर्णय द्वारा

बी.

सी.

दिनांक 29.06.2021, जी. मोहन राव और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य [ए. आई. आर. 2021 एस. सी. 3126] में रिपोर्ट किया गया, इस न्यायालय ने माना कि

उन्होंने कहा कि अधिनियमन एक वैध विधायी अभ्यास था जो संविधान के अनुच्छेद 254 के चारों कोनों के अनुरूप था और इसके दायरे में आता था। तदनुसार, रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

डी.

13. यह ध्यान दिया जा सकता है कि के. एम. विट्टल बाबू और टी. चिन्नाप्पन ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की आई. डी. 1 दायर की थी, जिसमें उन्होंने यह घोषणा करने की मांग की थी कि 2015 के अधिनियम संख्या 1 द्वारा नए एल. ए. अधिनियम में डाली गई धारा 105-ए असंवैधानिक थी। इस रिट याचिका को रिट याचिकाओं के समूह के साथ भी जोड़ा गया था, जिसका निपटान दिनांक 03.07.2019 के सामान्य आदेश द्वारा किया गया था। जबकि, 07.07.2021 पर, के. एम. विट्टल बाबू और टी. चिन्नाप्पन ने 2020 के एसएलपी (सी) संख्या 2063-2066 में 2021 का आई. ए. संख्या 77573 दायर किया, जिसे 2021 के सिविल अपील संख्या 5692-5695 के रूप में गिना गया था, जिसमें शामिल करने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम के प्रावधान राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के समान हैं, जिसके तहत उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, और चूंकि इसकी वैधता से संबंधित कोई अलग याचिका नहीं थी, इसलिए यह उचित और आवश्यक था कि उन्हें 2020 के एसएलपी (सी) संख्या 2063-2066 में शामिल किया जाए ताकि राजमार्ग अधिनियम के समान सामग्री प्रावधानों पर सवाल उठाया जा सके। उनके अभियोग आवेदन को 09.09.2021 पर अनुमति दी गई थी। आश्चर्य की बात है कि दो दिन बाद, के. एम. विट्टल बाबू ने 2015 के संदर्भ में 2021 की एसएलपी (सी) डायरी संख्या 15466 दाखिल करने का फैसला किया, जिसका उल्लेख पहले किया गया था, जिसमें वह एक पक्ष नहीं थे। एस. एल. पी. दाखिल करने की अनुमति के लिए अपने आवेदन में उन्होंने कहा कि 2015 के आई. डी. 1 ने राजमार्ग अधिनियम को चुनौती दी, जो

ई.

एफ.

जी.

एच.

950

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 7 एस सी आर।

वह अपनी ही रिट याचिका में अनुपस्थित था और इसलिए वह इस न्यायालय के समक्ष उस मुद्दे को उठाना चाहता था। उन्हें 09.09.2021 पर ऐसा करने की अनुमति दी गई थी और उनकी SLP को 2021 की सिविल अपील संख्या 5697 के रूप में गिना गया था। उसमें उनकी प्रार्थना है कि राजमार्ग अधिनियम को असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया जाए। इस प्रकार, के. एम. विट्टल बाबू को 2021 की सिविल अपील संख्या 5697 में अपीलार्थी के रूप में दर्शाया गया है और टी. चिन्नाप्पन के साथ अन्य अपीलों में भी प्रत्यर्थी के रूप में शामिल किया गया है।

बी.

14. जी. मोहन राव (उपरोक्त) के आलोक में, 2015 के अधिनियम संख्या 1 और धारा 105-ए के लिए इस न्यायालय के समक्ष चुनौतियों को निरर्थक बना दिया गया है। 2020 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 4106, जिसमें ऐसी चुनौती शामिल थी, का निपटान 09.09.2021 पर किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित सामान्य आदेश 03.07.2019 में विचार किए गए अंक 2, 3 और 4 में गुण-दोष पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, यद्यपि इसके बाद की संख्या में, 2021 की सिविल अपील संख्या 5694 और 5695 निष्फल हैं और इन्हें किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है। विचार के लिए एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम और राजमार्ग अधिनियम अंतर्निहित मनमानेपन और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के कारण अमान्य हैं। इस संदर्भ में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि जी. मोहन राव (उपरोक्त) के पैराग्राफ 74 में, इस न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता खंड के उल्लंघन को स्थापित करने के लिए राज्य अधिनियमों और नए एल. ए. अधिनियम के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर तर्क खुला छोड़ दिया गया है। पार्टियों को उन सभी अन्य मुद्दों को उठाने की स्वतंत्रता दी गई थी जिन पर उस फैसले में विचार नहीं किया गया था, राज्य के कानूनों की वैधता के संबंध में, दिनांकित 03.07.2019 आदेश से उत्पन्न लंबित मामलों में, जिसमें खुद को शामिल करना भी शामिल था।

सी.

डी.

ई.

15. 2021 की सिविल अपील Nos.5692-5693 में अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री सुहरित पार्थसारथी को सुना; श्री एन. सुब्रमण्यन, विद्वान अधिवक्ता, के. एम. विठ्ठल बाबू और टी. चिन्नाप्पन की ओर से पेश हुए; और श्री के. के. वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ वकील, तमिलनाडु राज्य और उसके अधिकारियों की ओर से पेश हुए।

एफ.

16. 2021 की सिविल अपील संख्या 5692-5693: औद्योगिक

प्रयोजन अधिनियम की स्थापना इस आधार पर की गई है कि तमिलनाडु राज्य ने तमिलनाडु राज्य में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि के त्वरित अधिग्रहण और उससे जुड़े मामलों के लिए विशेष प्रावधान करना समीचीन पाया। इस योजना में यह परिकल्पना की गई है कि सरकार औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत एक सार्वजनिक सूचना ऐसी तरीके से देगी जो निर्धारित की जाए, जिसमें भूमि के मालिक और किसी अन्य व्यक्ति को बुलाया जाए, जो ए की राय में हो।

जी.

एच.

951

सी. एस. गोपालकृष्णन ई. टी. सी. बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य [संजय कुमार, जे.] ए.

सरकार को ऐसी भूमि में दिलचस्पी हो सकती है, कारण दिखाने के लिए, ऐसे समय के भीतर जो सार्वजनिक सूचना में निर्दिष्ट किया जा सके, भूमि का अधिग्रहण क्यों नहीं किया जाना चाहिए। धारा 3 (3) में प्रावधान है कि मालिक या इच्छुक व्यक्ति द्वारा दिखाए गए कारण, यदि कोई हो, को सुनने और उस पर विचार करने के बाद, सरकार धारा 3 (1) के तहत आदेश पारित कर सकती है। बदले में, धारा 3 (1) में कहा गया है कि सरकार किसी भी औद्योगिक उद्देश्य के लिए या अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी अन्य उद्देश्य के लिए आवश्यक किसी भी भूमि का अधिग्रहण तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में एक सूचना प्रकाशित करके कर सकती है, जिसमें उस विशेष उद्देश्य को निर्दिष्ट किया गया है जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है। राजपत्र में धारा 3 (1) के तहत सूचना प्रकाशित होने के बाद, धारा 4 में कहा गया है कि इस तरह के प्रकाशन की तारीख से भूमि पूरी तरह से सरकार में निहित होगी, जो सभी बाधाओं से मुक्त होगी।

बी.

सी.

17. वर्तमान अपीलों में हमले की गंभीरता यह है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम मनमानेपन और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर अमान्य होने के लिए उत्तरदायी नहीं था। इस संबंध में बहस के दौरान बहुत सारे मामलों का हवाला देते हुए विभिन्न मुद्दे उठाए गए। हालाँकि, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सी. एस. गोपालकृष्णन ने एस. आई. पी. सी. ओ. टी. औद्योगिक उद्यान की स्थापना के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने के लंबे समय बाद, एस. आई. डी. 2 पर सार्वजनिक सूचना जारी करके, सर्वेक्षण संख्या 92/60, पट्टा संख्या 1317, प्लॉट संख्या 236, पिल्लार्पक्कम गाँव, कांचीपुरम जिले में दिनांक 14.12.2012 के पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत भूमि खरीदी। इसी तरह, अन्य अपीलार्थी वी. थिरुनारायणन ने भी पुराने सर्वेक्षण संख्या 93/4 बी (3) में भूमि खरीदी, जो वर्तमान में सर्वेक्षण संख्या 93/58 और 93/59, पिल्लार्पक्कम गाँव, कांचीपुरम जिले में, वन अधिग्रहण कार्यवाही शुरू होने के ठीक बाद दिनांक 21.02.2013 के पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत है। हालाँकि, औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत नोटिस मार्च, 2013 में ही राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जब उन्होंने विचाराधीन भूमि की खरीद की थी।

डी.

ई.

एफ.

18. उपरोक्त परिवेश में, जो प्रश्न उत्पन्न होगा वह अपीलार्थियों के अधिकार क्षेत्र के बारे में है, जिन्होंने औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देने के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने के बाद अपनी भूमि खरीदी थी।

जी.

19. राज्य का यह तर्क है कि ऐसे बाद के खरीदारों को अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं होगा और उस संदर्भ में, उस कानून के खिलाफ हमला बनाए रखना होगा जिसके तहत ऐसा अधिग्रहण किया जा रहा है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि, धारा के रूप में

एच.

952

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 7 एस सी आर।

3(1) सूचना वर्ष 2013 में प्रकाशित की गई थी, यानी नए एल. ए. अधिनियम के लागू होने से पहले, इसके संबंध में मुआवजे का निर्धारण केवल पुराने एल. ए. अधिनियम के आधार पर होगा, न कि नए एल. ए. अधिनियम के तहत।

20. इसके विपरीत, अपीलार्थियों का कहना है कि उनके पास औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम की वैधता को चुनौती देने का अधिकार होगा, क्योंकि उनके बिक्री लेनदेन औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत सार्वजनिक सूचना जारी होने के लगभग 6 साल बाद हुए थे और किसी भी उचित व्यक्ति को यह विश्वास होगा कि ऐसी कार्यवाही समय बीतने के कारण समाप्त हो गई होगी। उनका यह भी तर्क है कि औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, अधिग्रहित भूमि केवल धारा 3 (1) के तहत सूचना के प्रकाशन पर सरकार में निहित होगी और इसलिए, उससे पहले एक बिक्री लेनदेन को अमान्य नहीं किया जाएगा। वे तर्क देंगे कि राज्य औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत सार्वजनिक सूचना जारी करके और उसके बाद वर्षों तक इसके बारे में भूलकर संपत्ति के अधिकारों को छह साल की अवधि के लिए फ्रीज नहीं कर सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है।

बी.

सी.

डी.

श्री वेंकटेश्वर शैक्षिक और धर्मार्थ न्यास बनाम। तमिलनाडु सरकार के सचिव और अन्य [लिखित अपील]

2012 का सं. 1063, 17.10.2022] पर निर्णय लिया गया, जिसमें कहा गया कि मामलों में जहां औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहणों के लिए मुआवजे का निर्धारण अभी भी आवश्यक है, नया एल. ए. अधिनियम बलपूर्वक लागू होगा और मुआवजे का निर्धारण करने के लिए आधार तिथि वह तिथि नहीं होगी जिस पर धारा 3 (2) नोटिस जारी किया गया था, बल्कि 01.01.2014, वह तिथि होगी जिस पर नया एल. ए. अधिनियम लागू हुआ था।

ई.

21. यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 3 (1) के तहत नोटिस के प्रकाशन के बाद, अपीलार्थियों ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की थीं जिसमें यथास्थिति के आदेश पारित किए गए थे। उन मामलों को आज तक लंबित बताया गया है। हम इस स्तर पर औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम के तहत शुरू की गई व्यक्तिगत अधिग्रहण कार्यवाही की वैधता से चिंतित नहीं हैं। यदि इस तरह की अधिग्रहण कार्यवाही की वैधता उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है, तो यह पक्षों पर है कि वे इसे आगे बढ़ाएं और गुण-दोष के आधार पर निर्णय आमंत्रित करें। ऐसी व्यक्तिगत अधिग्रहण कार्यवाही से संबंधित मुद्दे, जिसमें मुआवजे की मात्रा और तथ्यों के आधार पर अन्य पहलू शामिल हैं, उन रिट याचिकाओं में तय किए जा

सकते हैं और इस स्तर पर हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में, हम केवल मनमानेपन और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम और राजमार्ग अधिनियम की वैधता की चुनौती से निपट रहे हैं और इससे अधिक नहीं।

एफ.

जी.

एच.

953

सी. एस. गोपालकृष्णन ई. टी. सी. बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य [संजय कुमार, जे.] ए.

ए.

22. जहाँ तक अपीलार्थियों के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का संबंध है, उसी पहलू पर इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने शिव कुमार मामले में विचार किया था।

और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [(2019) 10 एससीसी 229]।

इसमें सवाल यह था कि क्या अधिग्रहित भूमि के बाद के खरीदार नए एल. ए. अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत देरी के आधार पर अधिग्रहण को अमान्य करने की मांग करने के हकदार होंगे। पीठ ने कहा कि पुराने एल. ए. अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के बाद किया गया बिक्री लेनदेन अमान्य है और भूमि हस्तांतरण के लिए अप्रभावी होगा और इस तरह की बिक्री बाद के खरीदारों को स्वामित्व नहीं देगी, जिससे वे कब्जा करने का दावा कर सकते हैं। यह देखा गया कि नए एल. ए. अधिनियम के तहत परिकल्पित ऐसे खरीदार को पुनर्वास का दावा करने या भूमि पर वापस दावा करने की अनुमति देना बहुत ही अनुचित और अन्यायपूर्ण और कानून की नीति के खिलाफ होगा। इस संबंध में समर्थन पहले से प्राप्त किया गया था

बी.

सी.

उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ और एक अन्य बनाम कालरा प्रॉपर्टीज (पी) लिमिटेड [(1996) 3 एस. सी. सी. 124]; स्नेह प्रभा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य [(1996) 7 एस. सी. सी. 426]; भारत संघ बनाम शिवकुमार भार्गव और अन्य [(1995) 2 एस. सी. सी. 427]; मीरा साहनी बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और अन्य [(2008) 9 एस. सी. सी. 177]; वी. चंद्रशेखरन और अन्य बनाम प्रशासनिक अधिकारी और अन्य [(2012) 12 एस. सी. सी. 133]; राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम बनाम सुभाष सिंधी सहकारी समिति। हाउसिंग सोसाइटी, जयपुर [(2013) 5 एस. सी. सी. 427] और एम. वेंकटेश और अन्य बनाम आयुक्त, बेंगलूर

विकास प्राधिकरण **[(2015) 17 एस. सी. सी. 1]**। यह ध्यान दिया जाए कि, यूपी जल निगम, लखनऊ (ऊपर) में, मीरा साहनी

डी.

ई.

(ऊपर) और वी. चंद्रशेखरन (ऊपर), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसा खरीदार अधिग्रहण को चुनौती नहीं दे सकता है और अधिक से अधिक, मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा।

23. चूँकि सी. एस. गोपालकृष्णन और वी. थिरुनारायणन दोनों ही औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम की वैधता पर हमला करना चाहते हैं, केवल धारा 3 (2) के तहत सार्वजनिक सूचना जारी करने के बाद उनके द्वारा खरीदी गई भूमि के संबंध में उसके तहत शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही के संदर्भ में।, पुराने एल. ए. अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना के समतुल्य, उनकी चुनौती अपनी शुरुआत में ही दागी और अस्वीकार्य है। वे दोनों बाद के खरीदार थे और माना जाता है कि वे अधिग्रहण की कार्यवाही से अवगत थे। उस संबंध में, हम ध्यान दे सकते हैं कि विषय भूमि के मूल मालिकों ने वर्ष 2007 में धारा 3 (2) के तहत जारी सार्वजनिक सूचना के जवाब में अपनी आपत्तियां उठाई थीं, लेकिन 2012 और 2013 में अपनी भूमि बेचने का फैसला किया। किसी भी स्थिति में, इन बाद के खरीदारों में से किसी को भी अनभिज्ञता का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

एफ.

जी.

एच.

954

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 7 एस सी आर।

अधिग्रहण की कार्यवाही। वास्तव में, बिक्री लेनदेन जिसके तहत वे विषय भूमि में स्वामित्व और ब्याज का दावा करते हैं, कानून की नजर में अमान्य हो जाते हैं। भूमि की खरीद के बाद केवल समय बीतने और धारा 3 (1) की सूचना के प्रकाशन से उनके बिक्री लेनदेन को बचाया नहीं जा सकेगा या उन्हें अधिग्रहण पर हमला करने का अधिकार नहीं मिलेगा। परिणामस्वरूप, हमें मनमानेपन और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन या अधिग्रहण कार्यवाही के लिए उनकी परिणामी चुनौती के आधार पर औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम के लिए उनकी चुनौती को स्वीकार

करने का कोई कारण नहीं मिलता है। इसलिए, 2021 की सिविल अपील संख्या 5692-5693 इस संक्षिप्त आधार पर खारिज की जा सकती है।

बी.

24. 2021 की सिविल अपील संख्या 5697 और अन्य:के. एम. विट्टल बाबू और सी.

टी. चिन्नाप्पन ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के सामान्य आदेश पर हमला किया, जिसमें मनमानेपन और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर राजमार्ग अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इन दोनों व्यक्तियों की शिकायत राजमार्ग अधिनियम के तहत तमिलनाडु राज्य द्वारा उनकी भूमि के अधिग्रहण के संबंध में है। तमिलनाडु सरकार ने सलेम में रेलवे लेवल क्रॉसिंग नंबर 184 को बदलने के लिए फ्लाईओवर/रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव करते हुए राजमार्ग और लघु बंदरगाह विभाग को दिनांक आईडी1 जारी किया था। इसके बाद, राजमार्ग अधिनियम की धारा 15 (2), जो औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम की धारा 3 (2) के समतुल्य है, के तहत दिनांक 02.07.2016 का सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आपत्तियों का आह्वान किया गया था कि उक्त उद्देश्य के लिए उनकी भूमि का अधिग्रहण क्यों नहीं किया जाना चाहिए। प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद, राजमार्ग अधिनियम की धारा 15 (1) के तहत तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में दिनांक 1 का नोटिस प्रकाशित किया गया था, जो औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम की धारा 3 (1) के समान है। इसके बाद, इन दोनों व्यक्तियों ने अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 का W.P.No.3276 दायर किया और उसमें यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया। यह मामला अभी तक लंबित है।

डी.

ई.

एफ.

25. 2019 के वैधीकरण अधिनियम में कहा गया है कि नई एल. ए. अधिनियम की पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची के प्रावधान राजमार्ग अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पर लागू होंगे। 2019 के वैधीकरण अधिनियम का भाग III राजमार्ग अधिनियम से संबंधित है। धारा 10 (1) में कहा गया है कि राजमार्ग अधिनियम के सभी प्रावधान, मुआवजे के निर्धारण से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, 26.09.2013 पर और उससे प्रभावी होंगे। धारा 10 (2) में कहा गया है कि सभी नियम, अधिसूचनाएं, नोटिस, आदेश, जारी किए गए निर्देश या कोई अन्य ए

जी.

सी. एस. गोपालकृष्णन ई. टी. सी. बनामतमिलनाडु राज्य और अन्य [संजय कुमार, जे.] ए.

राजमार्ग अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही, मुआवजे के निर्धारण से संबंधित कार्यवाहियों को छोड़कर, जो 26.09.2013 से तुरंत पहले लागू थीं, सभी उद्देश्यों के लिए, 26.09.2013 पर और उससे पुनर्जीवित की गई मानी जाएगी। धारा 10 (3) में कहा गया है कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मुआवजे के निर्धारण से संबंधित प्रावधान; दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट पुनर्वास और पुनर्वास; और नई एल. ए. अधिनियम की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट बुनियादी सुविधाओं से संबंधित प्रावधान, राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहण कार्यवाही पर लागू होंगे। धारा 11 में कहा गया है कि 2019 के वैधीकरण अधिनियम में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, नए एल. ए. अधिनियम के प्रावधान राजमार्ग अधिनियम की धारा 15 (1) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आवश्यक किसी भी भूमि पर लागू नहीं होंगे और ऐसी कोई भी भूमि सरकार द्वारा केवल राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहित की जाएगी।

बी.

सी.

26. यद्यपि 2021 की सिविल अपील संख्या 5692-5693 को विचारणीयता के आधार पर खारिज किया जा सकता है, लेकिन उसमें उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुहरित पार्थसारथी की दलीलों को के. एम. विठ्ठल बाबू और टी. चिन्नाप्पन के विद्वान अधिवक्ता श्री N.Subramaniyan द्वारा पूरी तरह से अपनाया गया था। तर्कों को अपनाना इस आधार पर आधारित है कि औद्योगिक उद्देश्य अधिनियम के प्रावधान राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के समान हैं, जिनसे वे संबंधित हैं। मामले के उस दृष्टिकोण में, हम केवल राजमार्ग अधिनियम के संदर्भ में दोनों विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों का विज्ञापन करेंगे। 27. राजमार्ग अधिनियम को नए एल. ए. अधिनियम की तुलना में मुआवजे के निर्धारण के साथ-साथ अधिग्रहण प्रक्रिया दोनों के संबंध में भेदभावपूर्ण बताया गया है। नए एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों का संदर्भ दिया गया है जिसमें उपयुक्त सरकार को प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों से परामर्श करने और उनके परामर्श से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। यह इंगित किया गया है कि नए एल. ए. अधिनियम की धारा 14 के तहत एक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट समाप्त हो जाएगी, यदि धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से 12 महीने के भीतर जारी नहीं की जाती है, और ऐसी स्थिति में, अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने से पहले एक नया सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करना होगा। यह बताया गया है कि नए एल. ए. अधिनियम की पहली अनुसूची में कहा गया है कि भूमि का बाजार मूल्य उसकी धारा 26 के अनुसार निर्धारित किया जाना है। नए एल. ए. अधिनियम

की धारा 26 (1) का परंतुक बाजार मूल्य को उस तारीख से जोड़ता है जिस दिन धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जाती है। नए अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिसूचना

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

956

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 7 एस सी आर।

एल. ए. अधिनियम राजमार्ग अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत जारी सार्वजनिक सूचना के बराबर है। नए एल. ए. अधिनियम की धारा 19 के तहत घोषणा राजमार्ग अधिनियम की धारा 15 (1) के तहत प्रकाशित सूचना के बराबर है।

28. इसके संदर्भ में, यह बताया गया है कि नए एल. ए. अधिनियम की धारा 19 (7) धारा 11 के तहत अधिसूचना और धारा 19 के तहत घोषणा के प्रकाशन के बीच एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित करती है और इस समय की शर्त का पालन करने में विफलता की स्थिति में, प्रारंभिक अधिसूचना को समाप्त माना जाता है, जो नए एल. ए. अधिनियम की धारा 19 (7) के दूसरे परंतुक के संदर्भ में अपवादों के अधीन है। इसी तरह, नए एल. ए. अधिनियम की धारा 25 में परंतुक है कि धारा 19 के तहत घोषणा के 12 महीने के भीतर पुरस्कार पारित किया जाना चाहिए और यदि नहीं, तो पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, जो धारा 25 के परंतुक के अधीन है, जो सरकार को समय बढ़ाने का अधिकार देता है। हालाँकि, चूंकि ये सभी प्रावधान नए एल. ए. अधिनियम की पहली अनुसूची में प्रतिबिंबित नहीं होते हैं, जिसे राजमार्ग अधिनियम तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए भूमि मालिकों के हितों की रक्षा के लिए रखी गई समय-सीमा उसके तहत अधिग्रहण पर लागू नहीं होगी। परिणामस्वरूप, तमिलनाडु राज्य पर इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा और मुआवजे का निर्धारण दूर के अतीत के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, जो कि अधिग्रहण नए एल. ए. अधिनियम के तहत होता तो ऐसा नहीं होता। राज्य सरकार को दिए गए लचीलेपन के आलोक में, यह तर्क दिया जाता है कि अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य भूमि मालिक के नुकसान के लिए बदल जाएगा।

बी.

सी.
डी.
ई.

29. यह भी बताया गया है कि मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए नए एल. ए. अधिनियम की धारा 28 में निर्धारित प्रक्रिया का तमिलनाडु राज्य द्वारा राजमार्ग अधिनियम के तहत पालन नहीं किया जाता है और विशेष रूप से, नए एल. ए. अधिनियम की धारा 28 (7) के तहत कलेक्टर को किसी भी अन्य आधार पर विचार करने की शक्ति दी जाती है जो समानता, न्याय और प्रभावित परिवारों के हित में हो सकता है। यह भी उनकी शिकायत है कि नए एल. ए. अधिनियम में प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय, जो भूमि मालिकों के लिए फायदेमंद हैं, मुआवजे की मात्रा के साथ-साथ प्रक्रिया दोनों के संबंध में राजमार्ग अधिनियम में उपलब्ध नहीं हैं। नए एल. ए. अधिनियम की धारा 39 का संदर्भ दिया गया है, जो कई विस्थापनों के मामले में अतिरिक्त मुआवजे का प्रावधान करता है और यह बताया गया है कि राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए कई अधिग्रहणों के बावजूद राजमार्ग अधिनियम में ऐसी कोई राहत प्रदान नहीं की गई है।

एफ.
जी.
एच.

957

सी. एस. गोपालकृष्णन ई. टी. सी. बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य [संजय कुमार, जे.] ए.
ए.

30. यह तर्क दिया जाता है कि यद्यपि 2019 का वैधीकरण अधिनियम राजमार्ग अधिनियम में नए एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करता है, जहां तक मुआवजे का संबंध है, नए एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों के चयनात्मक अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप मुआवजे के मामले में भी भेदभाव होगा। यह बताया गया है कि नए एल. ए. अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा, जो नए एल. ए. अधिनियम की पहली अनुसूची से संबंधित नहीं है, 2019 के वैधीकरण अधिनियम के तहत लागू नहीं की जाती है और ऐसी समय-सीमा के न होने से राज्य को दूर-दराज की तारीख में मुआवजे का निर्धारण करने के लिए बाजार मूल्य निर्धारित करने की अनुमति मिलेगी, जिससे भूमि मालिक न्यायपूर्ण और उचित मुआवजे से वंचित हो जाएंगे। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, हालांकि नए एल. ए. अधिनियम और राज्य अधिनियमों के बीच न्यायिक समानता है, वास्तव में मुआवजे के भुगतान में वास्तविक भेदभाव होगा। पी. वज्रवेलु मुदलियार बनाम का संदर्भ दिया गया है।

बी.

सी.

विशेष उपायुक्त, मद्रास और अन्य [ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1017], नागपुर सुधार न्यास और अन्य बनाम विठ्ठल राव और अन्य [ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 689], भारत संघ बनाम तारसेम सिंह और अन्य [(2019) 9 एस. सी. सी. 304], सावित्री कैरे और अन्य बनाम यू. पी. आवास एवं विकास परिषद और अन्य [(2003) 6 एस. सी. सी. 39] और मध्य प्रदेश राज्य बनाम जी. सी. मंडावर [ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 493]

डी.

31. यह दावा किया जाता है कि जिन भूमि मालिकों की भूमि राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहित की गई है और जिनकी भूमि नए एल. ए. अधिनियम के तहत अधिग्रहित की गई है, उनके बीच कोई समझदारी भरा अंतर नहीं है और यह एक अनुचित वर्गीकरण के बराबर होगा यदि उन्हें सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उनकी भूमि का अधिग्रहण करने पर समान शर्तों पर मुआवजे से वंचित कर दिया जाता है। एक उदाहरण दिया जाता है, जहां किसी व्यक्ति की भूमि राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहित की जा सकती है, जबकि उसके पड़ोसी की भूमि, जो सभी मामलों में समान रूप से स्थित है, नए एल. ए. अधिनियम के तहत अधिग्रहित की जाती है, लेकिन राजमार्ग अधिनियम में समयसीमा के अभाव के कारण उन्हें विभिन्न मानदंडों पर मुआवजा दिया जाएगा, जो राज्य को नए एल. ए. अधिनियम के तहत प्राप्त स्थिति के विपरीत मुआवजे का निर्धारण करने के लिए पिछली तारीख को बाजार मूल्य निर्धारित करने की अनुमति देगा। जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ [(2019) 3 एस. सी. सी. 39] को यह तर्क देने के लिए संदर्भित किया जाता है कि जब कोई क़ानून मनमाना होता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा और इसे निरस्त करने की आवश्यकता होगी। यह भी तर्क दिया जाता है कि नए एल. ए. अधिनियम की धारा 27 से 30 में निहित मुआवजे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खंडों को राजमार्ग अधिनियम में लागू नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें केवल नए एल. ए. अधिनियम की पहली अनुसूची को शामिल किया गया है, जिससे भेदभाव पैदा होता है, क्योंकि जिन भूमि मालिकों की भूमि राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहित की गई है, वे नए एल. ए. अधिनियम के इन प्रावधानों के तहत लाभ के हकदार नहीं होंगे।

ई.

एफ.

जी.

एच.

32. दूसरी ओर, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. के. वेणुगोपाल इंगित करेंगे कि नए एल. ए. अधिनियम विद्वान निर्धारित समयसीमा पवित्र नहीं है क्योंकि इसके प्रावधान कुछ परिस्थितियों विद्वान समय बढ़ाने की अनुमति देते हैं। यह इंगित किया जाता है कि, एक बार इस तरह के विस्तार को मंजूरी दिए जाने के बाद, कोई बाहरी सीमा निर्धारित नहीं की जाती है और इसलिए, यह तर्क कि नया एल. ए. अधिनियम राज्य पर बाध्यकारी अस्थायी प्रतिबंध लगाता है, सही नहीं है। यह बताया गया है कि नए एल. ए. अधिनियम की धारा 19 (7) का दूसरा परंतुक सरकार को 12 महीने की अवधि बढ़ाने का अधिकार देता है, अगर उसकी राय में, इसे सही ठहराने के लिए परिस्थितियां मौजूद हैं और वास्तव में, राजमार्ग अधिनियम और नए एल. ए. अधिनियम के बीच कोई अंतर नहीं है। संदर्भ

बी.

इस संबंध में केरल राज्य और अन्य बनाम बनाया गया है। टी. एम. पीटर और अन्य **[(1980) 3 एससीसी 554]** राज्य पर भरोसा रखा गया है सी.

कर्नाटक बनाम रंगनाथ रेड्डी **[(1977) 4 एससीसी 471]** समर्थन में

इस तर्क का कि संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची में किसी विषय पर अधिनियमित राज्य कानून अनुच्छेद 254 (2) के तहत राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद संरक्षित रहेगा, भले ही वह उसी विषय पर केंद्रीय कानून के प्रतिकूल हो, और यह तर्क दिया जाता है कि ऐसी कोई भी अस्वीकृति ठीक हो जाएगी और अब राजमार्ग अधिनियम को अमान्य करने का आधार नहीं होगा।

डी.

33. यह तर्क दिया जाता है कि राजमार्ग अधिनियम की तुलना नए एल. ए. अधिनियम से करने का सवाल ही नहीं उठेगा, क्योंकि राजमार्ग अधिनियम में कोई भी प्रतिकूल प्रावधान नए एल. ए. अधिनियम में विपरीत प्रावधान के बावजूद काम करता रहेगा, क्योंकि 2019 का वैधीकरण अधिनियम, जिसने राजमार्ग अधिनियम को पुनर्जीवित किया, अनुच्छेद 254 (2) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी गई सहमति से संरक्षित था। यह बताया गया है कि राजमार्ग अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत सार्वजनिक सूचना 02.07.2016 पर जारी की गई थी और उसके बाद धारा 15 (1) के तहत सूचना का प्रकाशन 01.02.2017 पर किया गया था, यानी केवल 7 महीने बाद। यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे मामले में भी जहां नियंत्रण से परे कारकों या किसी अन्य आकस्मिक कारण से देरी हुई है, उस छोटे से आधार पर कानून को अमान्य घोषित करना अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा।

ई.

एफ.

34. इस मामले पर गंभीर और विचारशील विचार करने के बाद, हमें पहले कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए जो व्यावहारिक रूप से इस मुद्दे को पकड़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 254 (2) की नींव और आधार यह है कि एक विशेष राज्य अधिनियम उसी विषय पर केंद्रीय विधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, लेकिन इसके बावजूद यह भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद संरक्षित रहेगा। इसलिए, यह एक पूर्व निष्कर्ष है कि असमानता ए जी.

एच.

959

सी. एस. गोपालकृष्णन ई. टी. सी. बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य [संजय कुमार, जे.] ए.

और दोनों अधिनियमों और उनके कार्यान्वयन से संबंधित पहलुओं के बीच व्यापक भेदभाव होगा। ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मामला बनाने के उद्देश्य से दोनों कानूनों की तुलना करने का सवाल ही नहीं उठेगा। इस तरह का अभ्यास चाक की तुलना पनीर से करने के समान होगा, यानी दो अनिवार्य रूप से असमान इकाइयाँ।

बी.

35. विशेष रूप से, (उपर्युक्त) में, एक संविधान पीठ ने कहा कि यह कल्पना की जा सकती है कि जब एक ही विधानमंडल दो अलग-अलग कानूनों को लागू करता है, लेकिन वास्तव में वे एक कानून बनाते हैं, तो न्यायालय के लिए इस रूप की अवहेलना करने और उन्हें एक कानून के रूप में मानने और इसे रद्द करने के लिए खुला हो सकता है, यदि उनके संयोजन में, वे भेदभाव का कारण बनते हैं, लेकिन ऐसा पाठ्यक्रम खुला नहीं होगा जहां दोनों कानूनों को अलग-अलग सरकारों और अलग-अलग विधानमंडलों द्वारा संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि अनुच्छेद 14 एक राज्य के कानून को इस आधार पर निरस्त करने के लिए अधिकृत नहीं करता है कि, एक ही विषय पर दूसरे राज्य के कानून के विपरीत, इसके प्रावधान भेदभावपूर्ण हैं और न ही यह केंद्र या राज्य के किसी कानून पर विचार करता है। पीठ ने कहा कि दोनों कानूनों के अधिकार के स्रोत अलग-अलग होने के कारण, अनुच्छेद 14 का कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है। यह वही तर्क था जिसे इस न्यायालय ने हरिजन कल्याण योजना अधिनियम, 1978 के लिए तमिलनाडु भूमि अधिग्रहण की वैधता को बरकरार रखते हुए अनंती अम्मल (ऊपर) में लागू किया था।

सी.

डी.

ई.

36. पी. वज्रवेलु मुदलियार (उपरोक्त) मामले में, एक संविधान पीठ मद्रास विधानमंडल द्वारा लाए गए पुराने एल. ए. अधिनियम में एक संशोधन पर विचार कर रही थी, जिसके तहत अन्य उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण की तुलना में आवास योजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा तय करने के लिए अलग-अलग सिद्धांत निर्दिष्ट किए गए थे। उल्लेखनीय है कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त की गई हो। उन परिस्थितियों में पीठ ने पुराने एल. ए. अधिनियम और संशोधन अधिनियम के तुलनात्मक अध्ययन पर कहा कि यदि संशोधन अधिनियम के तहत आवास योजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो दावेदार को उसी भूमि के लिए उससे कम मूल्य मिलेगा, यदि इसे पुराने एल. ए. अधिनियम के तहत एक अलग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया गया था और ऐसे व्यक्तियों के बीच ऐसा वर्गीकरण, जिनकी भूमि आवास योजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई थी और जिनकी भूमि अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई थी, अनुच्छेद 14 के तहत उचित नहीं होगा। यह उस आधार पर था कि पीठ ने संशोधन अधिनियम को अमान्य ठहराया, क्योंकि यह

एफ.

जी.

एच.

960

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 7 एस सी आर।

यह स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। ऐसी ही स्थिति थी।

उपायुक्त और कलेक्टर, कामरूप बनाम दुर्गा नाथ सरमा [ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 394] और नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (ऊपर),

क्योंकि उन मामलों में संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत एक अप्रिय राज्य कानून का सत्यापन भी शामिल नहीं था।

37. रंगनाथ रेड्डी (उपरोक्त) मामले में, 7 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने कहा कि समवर्ती सूची में किसी विषय पर राज्य अधिनियम और केंद्रीय विधान के बीच यदि कोई प्रतिकूलता है, तो वह ठीक हो जाएगी यदि राज्य अधिनियम को अनुच्छेद 254 (2) के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है और इस तरह की प्रतिकूलता उसके बाद इन प्रावधानों को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकती है।

बी.

राज्य अधिनियम। फिर, जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में

सी.

[(2003) 8 एस. सी. सी. 369], इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि किसी राज्य द्वारा अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित कानून के एक टुकड़े की तुलना किसी अन्य कानून के प्रावधानों के साथ करने की अनुमति नहीं है, हालांकि यह समान रूप से हो सकता है, लेकिन संसद या किसी अन्य राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाने की अपनी शक्ति के भीतर अधिनियमित किया जा सकता है, क्योंकि शक्ति के स्रोत अलग-अलग हैं और इसलिए शक्ति का प्रयोग करने वाले अलग-अलग हैं। यह देखा गया कि दो अलग-अलग सरकारों और दो अलग-अलग विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित दो कानूनों को न तो संयोजन में पढ़ा जा सकता है और न ही यह पता लगाने के उद्देश्य से तुलना की जा सकती है कि क्या वे भेदभावपूर्ण हैं और अनुच्छेद 14 एक राज्य के कानून को इस आधार पर निरस्त करने के लिए अधिकृत नहीं करता है कि, एक ही विषय पर केंद्र या दूसरे राज्य के कानून के विपरीत, इसके प्रावधान भेदभावपूर्ण हैं।

डी.

ई.

38. यू. पी. में आवास एवं विकास परिषद बनाम। जैनुल इस्लाम और

एक अन्य [(1998) 2 एस. सी. सी. 467], यह न्यायालय आवास योजनाओं को निष्पादित करने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक राज्य अधिनियम पर विचार कर रहा था। हालांकि, इसके तहत देय मुआवजा पुराने एल. ए. अधिनियम के तहत देय मुआवजे से कम था। यह राज्य कानून वर्ष 1965 का था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। हालांकि, पुराने एल. ए. अधिनियम को भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके तहत भूमि मालिकों के हित में मुआवजे और ब्याज की राशि में वृद्धि करके कई नए प्रावधान जोड़े गए थे। हालांकि, 1965 का राज्य अधिनियम अपरिवर्तित रहा। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भूमि मालिक 1984 के संशोधन अधिनियम द्वारा पुराने एल. ए. अधिनियम में पेश किए गए प्रावधानों के लाभ के हकदार होंगे। इसके बाद यह मामला इस न्यायालय के समक्ष आया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1965 के राज्य अधिनियम की धारा 55, जिसमें पुराने एल. ए. अधिनियम के प्रावधान शामिल हैं, का यह भी उद्देश्य है कि पुराने एल. ए. अधिनियम में संशोधन ए. के निर्धारण से संबंधित हैं।

एफ.

जी.

एच.

सी. एस. गोपालकृष्णन ई. टी. सी. बनामतमिलनाडु राज्य और अन्य [संजय कुमार, जे.] ए.

राज्य अधिनियम 1965 के तहत भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा लागू होगा। वैधानिक प्रावधान के इस निर्माण और व्याख्या के कारण, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस निवेदन पर विचार करना आवश्यक नहीं होगा कि यदि 1984 के संशोधन अधिनियम के प्रावधान 1965 के राज्य अधिनियम के तहत अधिग्रहण पर लागू नहीं होते हैं, तो 1965 के राज्य अधिनियम के तहत लागू किए गए पुराने एल. ए. अधिनियम के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत प्रतिकूलता के आधार पर शून्य होंगे। अतः यह निर्णय अपीलार्थियों के मामले में सहायता या प्रगति नहीं करता है।

बी.

39. इसी तरह का तर्क इस न्यायालय द्वारा सावित्री कैरे (उपरोक्त) में 1965 के उसी राज्य अधिनियम पर विचार करते समय लागू किया गया था। यह देखते हुए कि यह पुराने एल. ए. अधिनियम के संदर्भ में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रावधान करता है और उसके तहत बनाई गई कानूनी कल्पना के कारण, इस न्यायालय ने कहा कि, भले ही अधिग्रहण 1965 के राज्य अधिनियम के तहत किया गया था, अगर मुआवजे की अधिक राशि पुराने एल. ए. अधिनियम के तहत देय है, तो मुआवजे की इतनी अधिक राशि का भुगतान करना होगा। उल्लेखनीय रूप से, इस न्यायालय ने कहा कि, आम तौर पर, संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड को संसदीय विधान और/या किसी अन्य राज्य के विधान की तुलना में राज्य के विधान के प्रवर्तन के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है।

सी.

डी.

40. इसलिए, हम नए एल. ए. अधिनियम की तुलना में उसमें निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं में तथाकथित असमानता और भेदभाव के बल पर राजमार्ग अधिनियम के खिलाफ शुरू किए गए हमले को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। इस संबंध में, हम यह इंगित कर सकते हैं कि तमिलनाडु राज्य में राजमार्ग अधिनियम उस समय भी संरक्षित था जब पुराना एल. ए. अधिनियम लागू और प्रभावी था, राष्ट्रपति की सहमति के कारण कि इसे संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत प्राप्त हुआ था, और यह नए एल. ए. अधिनियम के आने तक भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के भुगतान के लिए पूरी तरह से अलग मापदंड प्रदान करता रहा।

ई.

एफ.

41. अन्यथा भी, जहाँ तक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के मुद्दे और नए एल. ए. अधिनियम में विभिन्न कदमों के लिए समय-सीमा का संबंध है, यही तर्क जी. मोहन राव (ऊपर) में दिया गया था और इस न्यायालय ने कहा कि किसी भी वैधीकरण अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद किसी भी प्रतिकूलता को इंगित करने की पूरी कवायद संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के पूरे उद्देश्य के लिए अनुचित है क्योंकि एक प्रतिकूल अधिनियम या ऐसे अधिनियम के प्रतिकूल परंतुक ों को पुनर्जीवित और कार्यान्वित करना है। अपरिहार्य तथ्य यह भी है कि नए एल. ए. अधिनियम की धारा 19 (7) का दूसरा परंतुक उपयुक्त परंतुक ों को सशक्त बनाता है।

जी.

एच.

962

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 7 एस सी आर।

सरकार प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने के बाद घोषणा को प्रकाशित करने के लिए 12 महीने की निर्धारित अवधि बढ़ाएगी, अगर उसकी राय में, इसे सही ठहराने के लिए परिस्थितियां मौजूद हैं। तीसरे परंतुक के लिए आवश्यक है कि अवधि बढ़ाने के ऐसे किसी भी निर्णय को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और इसे संबंधित प्राधिकरण की वेबसाइट पर अधिसूचित और अपलोड किया जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार इस तरह का विस्तार दिए जाने के बाद, कोई बाहरी सीमा निर्धारित नहीं की जाती है और समय की शर्त के कारण कार्यवाही समाप्त नहीं होगी। टी. एम. पीटर (ऊपर) में, नगर योजना अधिनियम, 1932 में सरकारी मंजूरी के लिए समय सीमा के अभाव के खिलाफ हमले पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि चूंकि उक्त अधिनियम की योजना एक शहर का तत्काल सुधार था और इसे शीघ्र प्रेषण के साथ निपटाने के लिए सरकार पर छोड़ दिया गया था, इसलिए असंख्य कारकों के कारण अधिनियम में कोई सटीक समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकी, जिन पर सरकार को किसी योजना को मंजूरी देने से पहले विचार करना होगा और यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि न्यायालय रद्द करने और राहत देने के लिए शक्तिहीन नहीं होगा, जहां अधिकारियों की मनमाने ढंग से आगे बढ़ने या दुर्भावनापूर्ण निष्क्रियता से मालिक को नुकसान होता है।

बी.

सी.

डी.

42. इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए एल. ए. अधिनियम की योजना अधिग्रहण के कार्यान्वयन में समय पर उपायों को अपनाने की वकालत करती है और इस तरह के सामान्य अस्थायी प्रतिबंधों से भूमि मालिकों को लाभ होगा, लेकिन राजमार्ग अधिनियम में इस तरह के प्रतिबंधों का अभाव इसे अमान्य करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस आधार पर तमिलनाडु राज्य द्वारा राजमार्ग अधिनियम बनाए गए थे, वह समय लेने वाली प्रक्रियाओं में कटौती करना था। जी. मोहन राव (ऊपर) में, इस न्यायालय ने उल्लेख किया था कि तमिलनाडु राज्य द्वारा 2019 के वैधीकरण अधिनियम के लिए भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए लिखे गए दिनांक 1 के पत्र में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया था कि तीन राज्य अधिनियम त्वरित अधिग्रहण के उद्देश्य से बनाए गए थे, लेकिन नए एल. ए. अधिनियम ने उन्हें अप्रिय बना दिया। इसलिए, यह राजमार्ग अधिनियम का इरादा या उद्देश्य नहीं है कि इसके तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लंबा किया जाए या टालने योग्य देरी से चलाया जाए।

ई.

एफ.

43. राजमार्ग अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण में कुछ देरी से जुड़े किसी विशेष मामले या छिटपुट मामले को अपने व्यक्तिगत गुण-दोष के आधार पर निपटाना पड़ सकता है, लेकिन यह अपने आप में कानून को अमान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, के. एम. विठ्ठल बाबू और टी. चिन्नाप्पन पहले ही अपने खिलाफ शुरू की गई व्यक्तिगत अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं और उन मामलों पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

जी.

एच.

963

सी. एस. गोपालकृष्णन ई. टी. सी. बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य [संजय कुमार, जे.]

कानून के अनुसार, इस निर्णय के संदर्भ के बिना जो केवल राजमार्ग अधिनियम की वैधता पर हमले तक सीमित है।

44. इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से एक या दूसरे कानून को अपनाने में मनमाने विवेक का प्रयोग करने की कोई संभावना नहीं है, जैसा कि विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है। 2019 के वैधीकरण अधिनियम की धारा 3, 7 और 11 स्पष्ट रूप से राज्य अधिनियमों में निहित उद्देश्यों के लिए नए एल. ए. अधिनियम के संचालन को बाहर करती हैं जो भारत के राष्ट्रपति की सहमति के कारण पुनर्जीवित हो गए थे। इसलिए, तमिलनाडु राज्य अपने तहत आरक्षित उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए केवल राजमार्ग अधिनियम लागू करने के

लिए बाध्य होगा। 45. उपरोक्त विश्लेषण पर, ये अपीलें योग्यता से रहित हैं। तमिलनाडु राजमार्ग अधिनियम, 2001, इस आधार पर अमान्य होने के लिए उत्तरदायी नहीं है कि इसके प्रावधान भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार; पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की तुलना में भेदभाव या मनमानेपन को प्रकट करते हैं।

बी.

सी.

डी.

याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

अंकित ज्ञान

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

ई.

(सहायक: आरश चौधरी, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.